

संचालनालय कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश  
पर्यावास भवन, पंचम तल, खण्ड (अ) भोपाल

क्रमांक/सं.को.ले./स्था./SAS/स्थाना./2017/ 1469

भोपाल, दिनांक 16/07/2017

//आदेश//

म0प्र0 अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कालम क्रमांक 4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

S.No	Employee Name /Batch	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	Transfer Mode	Remark
1	2	3	4	5	6
1	GOPESH SHITIKANTH GOUTAM	Assistant Pension Officer, District Pension Office, Damoh	Joint Director, Treasury and Accounts, Sagar	Self	

उपरोक्तानुसार संबंधित अधिकारियों को वर्तमान पदस्थापना में कार्यमुक्त करने की अवधि स्थानान्तरण आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह निर्धारित की जाती है। यदि संबंधित अधिकारी निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होते हैं, तो उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त माना जावेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित माना जायेगा।

*मोहता सिंह*

*अपर संचालक*

कोष एवं लेखा

पू.क्र. संको.ले./एस.ए.एस./स्था./2017/1470

भोपाल, दिनांक 16/07/2017

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय वित्त मन्त्रीजी, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल
- संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा ..... (म.प्र.)
- संभागीय पेंशन अधिकारी, संभागीय पेंशन कार्यालय ..... (म.प्र.)
- कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, ..... (म.प्र.)
- जिला पेंशन अधिकारी, जिला पेंशन कार्यालय ..... (म.प्र.)
- कार्यालय प्रमुख (वर्तमान पदस्थापना कार्यालय) ..... (म.प्र.)
- कार्यालय प्रमुख (नवीन पदस्थापना कार्यालय) ..... (म.प्र.)
- आहरण एवं संवितरण अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल (म.प्र.)
- संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमति/कु० ..... /व्यक्तिगत नस्ती।
- वैबसाइट शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा की ओर अपलोड करने हेतु।  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

*मोहता सिंह*

*अपर संचालक*

कोष एवं लेखा

संचालनालय कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश  
पर्यावाम भवन, पंचम तल, खण्ड (अ) भोपाल

क्रमांक/सं.को.ले./स्था./SAS/स्थाना./2017/1471

भोपाल, दिनांक 16/07/2017

//आदेश//

म0प्र0 अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव में स्थानांतरण करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कालम क्रमांक 4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

S.No	Employee Name /Batch	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	Transfer Mode	Remark
1	2	3	4	5	6
1	DR. SARIKA MISHRA	Assistant Treasury Officer, District Treasury, Hoshangabad	Commissioner, Higher Educaion, Bhopal	Self	

उपरोक्तानुसार संबंधित अधिकारियों को वर्तमान पदस्थापना से कार्यमुक्त करने की अवधि स्थानांतरण आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह निर्धारित की जाती है। यदि संबंधित अधिकारी निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होते हैं, तो उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त माना जायेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित माना जायेगा।

*आदेशक*

*[Signature]*  
अपर संचालक  
कोष एवं लेखा

पृ.क्र. संको.ले./एम.ए.एस./स्था./2017/1472

भोपाल, दिनांक 16/07/2017

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय वित्त मन्त्रीजी, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल
- संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा ..... (म.प्र.)
- संभागीय पेशन अधिकारी, संभागीय पेशन कार्यालय ..... (म.प्र.)
- कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, ..... (म.प्र.)
- जिला पेशन अधिकारी, जिला पेशन कार्यालय ..... (म.प्र.)
- कार्यालय प्रमुख (वर्तमान पदस्थापना कार्यालय) ..... (म.प्र.)
- कार्यालय प्रमुख (नवीन पदस्थापना कार्यालय) ..... (म.प्र.)
- आहरण एवं संवितरण अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल (म.प्र.)
- संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमति/कु. /व्यक्तिगत नस्ती।
- वेबसाइट शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा की ओर अपलोड करने हेतु।  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

*आदेशक*

*[Signature]*  
अपर संचालक  
कोष एवं लेखा

संचालनालय कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश  
पर्यावास भवन, पंचम तल, खण्ड (अ) भोपाल

क्रमांक/सं.को.ले./स्था. /SAS/स्थाना. /2017/ 1473

भोपाल, दिनांक 16/07/2017

//आदेश//

म0प्र0 अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कालम क्रमांक 4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

S.No	Employee Name /Batch	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	Transfer Mode	Remark
1	2	3	4	5	6
1	SHRI ABHILASH PATEL	Assistant Pension Officer, District Pension Office, Panna	Assistant Pension Officer, District Pension Office, Vidisha	Self	

उपरोक्तानुसार संबंधित अधिकारियों को वर्तमान पदस्थापना से कार्यमुक्त करने की अवधि स्थानांतरण आदेश जारी होने के दिनांक से एक ममाह निर्धारित की जाती है। यदि संबंधित अधिकारी निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होते हैं, तो उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त माना जावेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित माना जायेगा।

*अक्षय सिंह*

*अक्षय सिंह*  
अपर संचालक  
कोष एवं लेखा

पु.क्र. संको.ले. /एस.ए.एस. /स्था. /2017/1474

भोपाल, दिनांक 16/07/2017

प्रतिलिपि:-

01. विशेष सहायक, माननीय वित्त मन्त्रीजी, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल
02. अपर मुख्य सचिव/सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल
03. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा ..... (म.प्र.)
04. संभागीय पेंशन अधिकारी, संभागीय पेंशन कार्यालय ..... (म.प्र.)
05. कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, ..... (म.प्र.)
06. जिला पेंशन अधिकारी, जिला पेंशन कार्यालय ..... (म.प्र.)
07. कार्यालय प्रमुख (वर्तमान पदस्थापना कार्यालय) ..... (म.प्र.)
08. कार्यालय प्रमुख (नवीन पदस्थापना कार्यालय) ..... (म.प्र.)
09. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल (म.प्र.)
10. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमति/कु. .... /व्यक्तिगत नस्ती।
11. वेबसाइट शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा की ओर अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

*अक्षय सिंह*

*अक्षय सिंह*  
कोष एवं लेखा

संचालनालय कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश  
पर्यावास भवन, पंचम तल, खण्ड (अ) भोपाल

क्रमांक/सं.को.ले./स्था./SAS/स्थाना./2017/ 1475

भोपाल, दिनांक 16/07/2017

//आदेश//

म0प्र0 अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष कालम क्रमांक 4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

S.No	Employee Name /Batch	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	Transfer Mode	Remark
1	2	3	4	5	6
1.	SHRI LAKHAN LAL SONI	A.I.A.O., Joint Directorate, Treasury and Accounts, Sagar	J.A.O., MPRRDA, Panna	Administrative	

उपरोक्तानुसार संबंधित अधिकारियों को वर्तमान पदस्थापना से कार्यमुक्त करने की अवधि स्थानांतरण आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह निर्धारित की जाती है। यदि संबंधित अधिकारी निर्धारित समयवधि में कार्यमुक्त नहीं होते हैं, तो उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त माना जावेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित माना जायेगा।

*मि. प्र. शासन*

*अपर संचालक*  
कोष एवं लेखा

पृ.क्र. संको.ले./एम.ए.एम./स्था./2017/1476

भोपाल, दिनांक 16/07/2017

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय वित्त मन्त्रीजी, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल
- संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा ..... (म.प्र.)
- संभागीय पेंशन अधिकारी, संभागीय पेंशन कार्यालय ..... (म.प्र.)
- कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, ..... (म.प्र.)
- जिला पेंशन अधिकारी, जिला पेंशन कार्यालय ..... (म.प्र.)
- कार्यालय प्रमुख (वर्तमान पदस्थापना कार्यालय) ..... (म.प्र.)
- कार्यालय प्रमुख (नवीन पदस्थापना कार्यालय) ..... (म.प्र.)
- आहरण एवं संवितरण अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल (म.प्र.)
- संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमति/कु. .... /व्यक्तिगत नस्ती।
- बैचसाइट शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा की ओर अपलोड करने हेतु।  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

*मि. प्र. शासन*

*अपर संचालक*  
कोष एवं लेखा